हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

2/7/25

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है -

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 (RAct) इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि "ग्राम नान्ता में सेटलमेन्ट कार्य करते समय संज्ञान में आया कि खाता सं. 402 किता 7 रकबा 0.73 Hect व 267 किता 2 रकबा 0.68 Hect भूमि में नामान्तरकरण अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से में दर्ज भूमि से अधिक का बेचान कर दिया गया है। जिस कारण खाते को एक किया जाना सम्भव नहीं है। इस आधार पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि वर्तमान जमाबन्दी में उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम

अपवादित खाते का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि वर्तमान जमाबन्दी में अपवादित खाता संख्या 402 व 217 का उल्लेख किये जाने के आदेश फरमावें।

(4) प्रार्थनापत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया गया। लेकिन कोई भी प्रतिवादी उप. नहीं हुआ। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(5) बहस एकपक्षीय सरकार पैरोकार सुनी गई।

(6) हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया

अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

तथा बहस पैरोकार सरकार पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

(7) तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सेटलमेन्ट पूर्व से वर्तमान तक हुए समस्त परिवर्तनों का वर्णन कर स्पष्ट किया गया है कि अपने हिस्से से अधिक भूमि विक्रय किये जाने तथा उसका राजस्व रिकार्ड में अमल हो जाने के कारण खातों में हिस्सा एक से अधिक हो गया।

(8) पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि राजस्व जमाबन्दी में किसी भी त्रुटिपूर्ण इन्द्राज से किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। तथा DILRMP के कार्य के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऐसे अपवादित प्रकरणों का निस्तारण धारा 136 LR ACT के द्वारा किया जावे

हुक्म

(5) उक्त परिस्थितियों में हम तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 LR ACT स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

(6) अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 LR ACT स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम नान्ता के बन्दोबस्त के ख.नं. 402 व 407 पर (वर्तमान ख.नं. 92) तहसीलदार लाडपुरा के प्रस्ताव अनुसार हिस्सा दुरुस्त कर खातों में हिस्सा का योग एक किया जावे। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव निर्णय का भाग होगा।

(7) पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा
/7/25

उपखण्ड अधिकारी